

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक: एफ.20/Training/आवंटन/ICDS/2018 16/306-310

जयपुर, दिनांक: 5/9/18

उप निदेशक

महिला एवं बाल विकास विभाग,

.....।

विषय:- प्रशिक्षण व्ययों के भुगतान हेतु बजट आवंटन वर्ष 2018-19 बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रशिक्षण व्ययों के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए निम्न मद अंतर्गत बजट आवंटन किया जाता है।

मांग संख्या-33

2236- पोषण

02- पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण

101-विशेष पोषण कार्यक्रम

(01)- महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम द्वारा

[02] - एकीकृत बाल विकास योजना

29- प्रशिक्षण (केन्द्रीय सहायता/राज्य निधि)

राशि लाखों में

क्र.सं.	नाम जिला कार्यलय	केन्द्रीय सहायता	राज्य निधि	कुल आवंटन
1.	उप निदेशक महिला एवं बाल विकास, बांसवाड़ा	9.00	6.00	15.00
2.	उप निदेशक महिला एवं बाल विकास, बीकानेर	9.00	6.00	15.00
3.	उप निदेशक महिला एवं बाल विकास, चुरू	3.60	2.40	6.00
4.	उप निदेशक महिला एवं बाल विकास, डुंगरपुर	9.00	6.00	15.00
5.	उप निदेशक महिला एवं बाल विकास, उदयपुर	18.00	12.00	30.00
	कुल	48.60	32.40	81.00

उक्तानुसार आवंटित राशि का उपयोग सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों तथा विभाग के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों, भारत सरकार के निर्धारित मापदण्डों (नॉमर्स) एवं उक्त मैचिंग शेयर के अनुपात में नियमानुसार किया जावे।

उप निदेशक (प्रशिक्षण)
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर।
जयपुर, दिनांक: 5/9/18

क्रमांक: एफ.20/Training/आवंटन/ICDS/2018 16/311-312

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय को आईएफएमएस पर अपलोड करवाने हेतु।

2. एसीपी मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।

उप निदेशक (प्रशिक्षण)
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर।